

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विविध व्यवहार अपील क्र0-200025/2016

संस्थापन दिनांक-21.03.2016

श्रीमती सर्वेश शर्मा पत्नी स्व0 कालीचरन शर्मा,
उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम सर्वा, तहसील गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी / वादिया

वि-रु-द्ध

1. छोटेलाल पुत्र जगन्नाथप्रसाद, उम्र 55 वर्ष,
निवासी वार्ड न0 2 गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
2. महाबीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह तोमर, उम्र 39
वर्ष।
3. विजयसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह तोमर, उम्र 33 वर्ष
4. दिनेश पुत्र राजबीरसिंह, उम्र 32 वर्ष।
5. अरुणसिंह उर्फ गिरधारी पुत्र मानसिंह, उम्र 29
वर्ष।
6. योगेन्द्र उर्फ वॉवी पुत्र राजेश सिंह, समस्त
निवासीगण ग्राम सर्वा, तहसील गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि0
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा श्री जी0एस0
गुर्जर अधिवक्ता।

आ-दे-श

(आज दिनांक 07/10/2017 को पारित किया गया)

01. अपीलार्थी की ओर से यह विविध व्यवहार अपील अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1, गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 90-ए/2015 में पारित

आदेश दिनांक 09.02.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.. निरस्त किया है।

02. वादिया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम सर्वा स्थित उसके स्वामित्व आधिपत्य का पुस्तैनी रिहायसी मकान जिसके पूर्व में चौपाल लक्ष्मणसिंह व झिगुरी एवं रास्ता तथा घूरा, पश्चिम में मोती खान का गौडा व घर, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में रामदीन नाई का मकान है। विवादित मकान के संबंध में प्रथम से मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें लाल स्याही से विवादित मकान को चिह्नित किया गया है। उक्त विवादित मकान वादिया को अपने पति से प्राप्त हुआ है। वादिया के पति की मृत्यु दिनांक 16.03.2013 को हो चुकी है। उक्त विवादित मकान में वादिया के पति व पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में वादिया उक्त मकान में अपने परिवार के साथ निवासरत है। विवादित मकान आवेदिका के पति को बटवारे में अपने भाई शिवचरन से बटवारे में एकांकी रूप से प्राप्त हुआ था तथा कस्बा गोहद में स्थिति मकान शिवचरन को प्राप्त हुआ था। विवादित मकान से प्रतिवादी का कभी कोई स्वत्व संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मौके की स्थिति के विपरीत मानचित्र बनाकर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 से साढगाढ कर दिनांक 13.01.2014 को बिक्रय कर दिया है जो कि अधिकार विहीन है और वादिया के मुकावले व्यर्थ व शून्य है। दिनांक 18.08.14 को प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 के द्वारा वादिया के मकान की दीवाल तोड़कर कब्जा करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के मकान पर कब्जा कर लिया गया तो वादिया को अपूर्तिनीय क्षति होगी। अतः वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भवन के कब्जा बर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न न करने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

04. प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वादिया के आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रमुख रूप से यह आधार लिया है कि वादिया का वादग्रस्त मकान से कोई स्वत्व संबंध नहीं है। विवादित मकान में वादिया के पति अथवा ससुर ने कभी निवास नहीं

किया है और न ही उक्त मकान में वादिया के पति व पति के भाई का कोई संबंध है और न ही उनके मध्य कोई बटवारा हुआ है। कालीचरन व शिवचरन का मकान विवादित मकान के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है जो 15-16 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। शिवचरन गोहद में रहता है एवं वादिया गोहद चौराहा पर निवास करती है। विवादित मकान के स्वामी जमनाप्रसाद थे जिन्होंने दिनांक 12.06.78 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से वादग्रस्त भवन प्रतिवादी क्रमांक 1 छोटेलाल को बिक्रय किया था तब से दिनांक 13.01.2014 तक छोटेलाल का ही उस पर स्वत्व व कब्जा बर्ताव रहा है। दिनांक 13.01.14 को प्रतिवादी छोटेलाल ने उक्त मकान प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 को बिक्रय कर कब्जा दे दिया है और तब से उक्त मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 6 काबिज है। वादिया के द्वारा असत्य आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05. वादिया की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/अपीलार्थी का प्रस्तुत आवेदन पत्र निराकृत करते हुए उक्तानुसार निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर यह विविध व्यवहार अपील प्रस्तुत की गई है।

06. अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होना निरूपित करते हुए अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 90-ए/15 (श्रीमती सर्वेश बनाम छोटेलाल आदि) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

09. अपील के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

01. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्र० क० 90-ए/15 (श्रीमती सर्वेश बनाम छोटेलाल आदि) में पारित आदेश दिनांकित 09.02. 2016 पारित करने में विधिक और तथ्य संबंधी भूल की गई है?
02. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्र० क० 90-ए/15 (श्रीमती सर्वेश बनाम छोटेलाल आदि) में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?

//सकारण निष्कर्ष//

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि वादग्रस्त अपीलार्थी के पति का पुस्तैनी मकान था और उसके पति को अपने भाई से बटवारे में प्राप्त हुआ था, किन्तु उसके उपरांतभी विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा पारित न करने में त्रुटि की है।
11. वादिया की ओर से अपने वादपत्र में और आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 में प्रमुख रूप से यह आधार लिए हैं कि वादग्रस्त मकान वादिया के पति का पुस्तैनी मकान है और मकान में उसके पति के साथ साथ शिवचरन का आधा हिस्सा था, किन्तु दोनों भाईयों के मध्य जब विभाजन हुआ तो वादग्रस्त मकान वादी के पति को प्राप्त हुआ, जबकि वादिया के पति के भाई शिवचरन को अन्य मकान प्राप्त हुआ था। वादिया के पति की दिनांक 16.03.2013 को मृत्यु हो चुकी है तब से वादिया ही वादग्रस्त मकान की स्वत्व व आधिपत्यधारी है।
12. स्वीकृत रूप से वादिया द्वारा वादग्रस्त मकान बटवारे में वादिया के पति के प्राप्त हुआ के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया के पति के पूर्वजों के पास उक्त मकान रहा हो, उनके द्वारा कय किया गया हो इस संबंध में भी वादिया की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. प्रतिवादीगण का आधार यह है कि वादग्रस्त मकान जमुनाप्रसाद पुत्र विद्याराम

का था जिसे छोटेलाल द्वारा क्रय किया गया। तत्पश्चात् छोटेलाल ने शेष प्रतिवादीगण को बिक्रय किया। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में बिक्रयपत्र दिनांक 12.06.1978 की मूल प्रति तथा उसके साथ संलग्न नक्शा तथा बिक्रयपत्र दिनांक 13.01.2014 की प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं जो प्रथम दृष्टिया प्रतिवादीगण की ओर से लिए गए आधार का समर्थन करती हैं।

14. वादिया को वांछित सहायता प्राप्त करने के लिए अपने मामले को प्रथम दृष्टिया प्रमाणित किया जाना होगा। प्रश्नगत प्रकरण में वादिया की ओर से वादग्रस्त भवन के अपने होने का जो आधार लिया है उस संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है। वादिया की ओर से वादग्रस्त स्थान की जो चतुरसीमा दर्शाई गई है उसके संबंध में दो बिक्रयपत्र रिकार्ड पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक बिक्रयपत्र वर्ष 1978 का है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र प्रस्तुत किए जाने से वादिया का मामला प्रथम दृष्टिया प्रमाणित नहीं होता है। वादिया के आधिपत्य में वादग्रस्त मकान हो इस आशय का निष्कर्ष निकाले जाने के लिए प्रथम दृष्टिया कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ कि स्वत्व संबंधी दस्तावेज वादिया की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं प्रथम दृष्टिया आधिपत्य भी वादिया का दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादिया के पक्ष में नहीं माना जा सकता है और जहाँ वादिया प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रमाणित करने में सफल नहीं रही है वहाँ वादिया के पक्ष में अपूर्णनीय क्षति होने का तथ्य भी नहीं माना जा सकता है।

15. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अधीस्थ न्यायालय ने वादिया/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 निरस्त किए जाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर उचित होकर विधि के मान्य सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी पुष्टि की जाती है।

16. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विविध अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

17. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

18. आदेश की प्रति के साथ आज ही अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जावे।

19. उक्तानुसार व्यय तालिका निर्मित की जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)